संख्या-158जेएल/22-3-2024-ई-1801975

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
(पीआर एण्ड एटीसी),
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
वोमेन सेफ्टी डिवीजन, द्वितीय तल,
मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम,
इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110001

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2024

विषयः- यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्र की केन्द्रीय कारागार, दुबई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हशमत अली पुत्र श्री मोइनुद्दीन, निवासी जनपद-हापुड़ को शेष सजा उत्तर प्रदेश राज्य स्थित कारागार में भोगने हेतु कारागार का चिन्हांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव (पीआर एण्ड एटीसी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-V-17011/4/2024-PR, दिनांक 11-03-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्र की केन्द्रीय कारागार, दुबई में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हशमत अली पुत्र श्री मोइनुद्दीन, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी बताया गया है, को भारत प्रत्यर्पण के उपरान्त शेष सजा भोगने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्थित जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध किया जा सकता है।

भवदीय,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-10496/सामा-1(1)/31/250/बं0प्रत्य0(Hashmat Ali)/2024, दिनांक 15-04-2024 के संदर्भ में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
3- पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in